शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध अध्ययनों में अक्सर सरकारी आंकड़ों को ही आधार बनाया जाता है। और ये आंकड़े जब राज्य या राष्ट्रीय स्तर के होते हैं तो खासे उलझाऊ नजर आते हैं। जिसके चलते इन आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष भी गोल मोल नजर आते हैं। बेहतर एवं समझ में आने वाले निष्कर्ष पाने के लिए इन आंकड़ों को छोटे स्तर पर यानी ग्राम पंचायत वार या पंचायत समिति वार एकत्र कर अध्ययन करना बेहतर उपाय हो सकता है। इसी तरह अध्ययनों को भी छोटे स्तर पर आयोजित करने की जरूरत है। तभी स्थिति का बेहतर आकलन व विश्लेषण हो सकता है और स्थानीय तौर पर समस्याओं का समाधान निकालने के प्रयास किए जा सकते हैं।

जोधपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा (1976–2001)

❑ चतर सिंह मेहता

शिक्षा एक मूलभूत मानवीय अधिकार भी है और विकास की प्रक्रिया में केन्द्रीय महत्व का बिन्दु भी। यदि न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा भी सभी को उपलब्ध न हो तो इसका अर्थ यही होगा कि लोगों को मूलभूत मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं हैं और यह राष्ट्रीय विकास के सभी दरवाजे बन्द होने जैसी बात है। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना की थी कि भारत के सभी बच्चों को 10 वर्षों में (अर्थात् सन् 1960 तक) प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जायेगी ताकि देश विकास के पथ पर शीघ्रता से अग्रसर हो सके। परन्तु उनका यह सपना दस वर्ष में तो क्या पचास वर्ष में भी पूरा नहीं हो सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के विस्तार व गुणवत्तता वृद्धि पर जोर दिया गया एवं वित्तीय प्रावधानों में वृद्धि की गई। सन् 1993 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति के जीवन के मूलभूत अधिकार के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को हर बच्चे का मूल अधिकार घोषित किया, जिसे अब सन् 2002 में भारतीय संविधान में संशोधन कर मूल अधिकारों के अन्तर्गत शामिल किया गया।

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता में भारत के प्रमुख हिन्दी-भाषी राज्य काफी पिछड़े हुए हैं। शिक्षा में पिछड़े होने के कारण विकास के अन्य मानदण्डों में भी पीछे हैं। हिन्दी-भाषी राज्यों में राजस्थान की स्थिति नीचे है- प्राथमिक शिक्षा, कुल नामांकन प्रतिशत, बालिका शिक्षा के नामांकन प्रतिशत और साक्षरता के प्रतिशत सभी में राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। संख्यात्मक वृद्धि कई गुना होने पर भी राज्यों से तुलनात्मक दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं आया है।

राजस्थान में भी जिलेवार स्थिति में भिन्नता है। कुछ जिले बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ तो भारत के सब जिलों की तुलना में भी पीछे हैं। अत: यह जरूरी है कि पूरे राज्य की समग्र स्थिति के साथ जिलेवार स्थिति का भी आकलन किया जाए। होना तो यह चाहिए कि ऐसे अध्ययन पंचायत समिति और ग्राम पंचायतवार भी हों। तभी सही स्थिति का पता लगेगा और सर्व शिक्षा की प्रभावी योजना बनाकर सही क्रियान्विति की जा सकेगी। इसी दृष्टि से जोधपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा एक से कक्षा पांच) का अध्ययन किया गया है। विश्लेषण का आधार शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित जिलावार आंकड़ों को ही बनाया गया है।

विद्यालयों की संख्या

पिछले वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि तालिका संख्या 1 से ज्ञात होती है।

तालिका 1

जोधपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	राजकीय	स्थानीय निकाय	सहायता प्राप्त	बिना सहायता	कुल
1976–77	88	615	24	40	767
1986–87	123	873	36	50	1082
1996–97	170	1054	46	134	1404
2000–01	152	1602	47	199	2000

पिछले 25 वर्षों में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 767 से बढ़कर 2000 हो गई। यह वृद्धि लगभग तीन गुनी है। वृद्धि की दर सबसे अधिक पिछले पांच वर्षों में रही। सर्वाधिक वृद्धि पचांयत समिति द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या में हुई है।

इसके बाद वृद्धि बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में हुई। शहरी क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तो कम हो गई।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्यत: सभी में कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापन होता है। अत: जिले में प्राथमिक शिक्षा में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तालिका संख्या 2 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या दी जा रही है-

तालिका 2

जोधपुर जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	राजकीय	सहायता प्राप्त	बिना सहायता	कुल
1976–77	211	20	4	235
1986–87	323	24	31	378
1996–97	404	28	164	596
2000–01	478	25	385	888

पिछले 25 वर्षों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में लगभग चार गुना वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्राथमिक विद्यालयों की दर से भी अधिक है। पिछले चार वर्ष विद्यालयों की संख्या की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इस अवधि में भी वृद्धि की दर व संख्या निजी व बिना सहायता प्राप्त विद्यालयों की सबसे अधिक रही।

अध्यापकों की संख्या

उपरोक्त अवधि में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या तालिका संख्या 3 में दी जा रही है।

तालिका 3

जोधपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल	प्रति विद्यालय औसत
1976–77	1316	906	2222	2.89
1986–87	2406	1726	4212	3.89
1996–97	2744	2745	5489	3.90
2000–01	3549	1892	5441	2.72

पिछले 25 वर्षों में अध्यापकों की संख्या में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1996-97 के बाद प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 600 बढ़ी है पर अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। उक्त अवधि में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 773 अध्यापकों और सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 34 अध्यापकों की कमी हुई। पंचायत समिति के विद्यालयों में 548 की वृद्धि हुई और अध्यापक संख्या 678 बढ़ी। निजी बिना सहायता के 65 विद्यालय बढ़े और अध्यापक संख्या में 81 की वृद्धि हुई। ये वर्ष मूल रूप से छात्र संख्या के हिसाब से अध्यापकों के समायोजन के रहे।

वर्ष 1996-97 के बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों के प्रतिशत में कमी आई। सन् 1976-77 में कुल अध्यापकों में 41 प्रतिशत महिलायें थीं। जिनका प्रतिशत 2000-01 में घटकर 35 ही रह गया। वर्ष 96-97 में तो यह प्रतिशत 50 तक पहुंच गया था। वर्ष 2000-01 के प्रतिशत को प्रबन्धवार विद्यालय के अनुसार देखा जाये तो शहरी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 65 प्रतिशत (ग्रामीण) स्थानीय निकाय में 28 प्रतिशत (शहरी) निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 48 प्रतिशत और शहरी-ग्रामीण मिश्रित निजी बिना सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 31 प्रतिशत अध्यापक महिलायें हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में तो महिला अध्यापक पर्याप्त संख्या में हैं पर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्धता में कम है। पिछले पांच वर्षों में स्थानीय निकाय विद्यालयों और निजी बिना सहायता प्राप्त विद्यालयों में तो इनकी संख्या कम हो गई है।

यद्यपि विद्यालयों और अध्यापकों की संख्या भी प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परन्तु मूल बात है, छात्र-छात्राओं की संख्या, उनके लिंग एवं पिछड़ेपन के अनुसार अनुपात, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और पढ़ाई की गुणवत्ता। यही वे घटक हैं जो प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं और यही प्राथमिक शिक्षा के मूल्यांकन के आधार होने चाहिये। विद्यालय में रजिस्टर में कितने बच्चों के नाम लिखे हैं, अर्थात् कितना नामांकन है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितने नियमित रहते हैं और उत्तीर्ण होकर कितने अगली कक्षा में जाते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्रा संख्या

वर्ष में जो भी आंकडे एकत्रित होते हैं वे विद्यालयवार प्रकाशित किये जाते हैं। इनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक के विभिन्न प्रकार के आंकड़े अलग से प्रकाशित नहीं होते। अत: कक्षा 1 से 5 तक की की विद्यालयवार समग्र स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। 6 से 11 आयुवर्ग के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यह भी आंकड़ों से स्पष्ट नहीं होता। कक्षा 1 से 5 तक जितनी भी छात्र-छात्राएं पढ़ती हैं, उन्हें 6-11 आयुवर्ग का मान लिया जाता है और इस आयुवर्ग के 100 से कहीं अधिक प्रतिशत बच्चे पढ़ते हुए बताए जाते हैं, जो वास्तविकता नहीं होती। इस तरह सही स्थिति ज्ञात ही नहीं हो पाती।

तालिका 4

जोधपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन

वर्ष	छात्र	छात्रा	कुल	विद्यालय अनुसार औसत
1976–77	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
1986–87	87952	32328	120281	111
1996–97	176201	63485	259686	185
2000–01	165154	103383	268537	134

तालिका 4 से ज्ञात होता है कि पिछले 14 वर्षों में नामांकन में सवा दो गुना वृद्धि हुई। पहले के दस वर्षों में नामांकन 139405 बढ़ा, जबकि अगले चार वर्षों में यह मात्र 9000 ही बढ़ा। इस अवधि में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या भी लगभग 600 बढ़ी। वर्ष 86-87 के मुकाबले 1996-97 और 2000-01 के बीच में यद्यपि छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु छात्रों की संख्या कम हो गई।

चूंकि 1996-97 के बाद के वर्ष प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहे हैं। अत: तालिका 5 में प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन की वर्षवार स्थिति दी जा रही है ।

तालिका 5

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन

वर्ष	राजकीय	स्थानीय निकाय	सहायता प्राप्त	बिना सहायता
1996–97	176201	83485	259686	.
1997–98	220152	96557	316709	+ 57023
1998–99	234832	91465	326297	+ 95884
1999–00	164092	104337	268429	– 57868
2000–01	165154	103383	268537	+ 108

तालिका 5 से ज्ञात होता है कि वर्ष 97-98 में प्राथमिक विद्यालयों में 57 हजार का नामांकन बढ़ा जो 99-2000 में उतना ही कम हो गया। वर्ष 98-99 में वृद्धि लगभग 10 हजार की रही, पर 2000-01 में मात्र 100 नामांकन ही बढ़े। छात्र और छात्राओं के नामांकन में काफी उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है। इसकी जांच पंचायत समितिवार या फिर ग्रामवार होनी चाहिए। नामांकन का कम हो जाना चिन्ता का विषय बनना चाहिए, ऐसी स्थिति में तो खास तौर पर, जब विद्यालय संख्या भी बढ़ रही हो और नामांकन कम हो रहा हो।

विद्यालयों में छात्र-छात्रा का अनुपात देखा जाये तो यह क्रमश: 62:38 आता है, जो अगर जनसंख्या में लिंग अनुपात 52:48 होता तब ही सही कहा जा सकता था। छात्राओं की संख्या लिंग अनुपात की दृष्टि से कम है।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन

प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोनों में कक्षा 1 से 5 तक समेकित नामांकन, जिसे प्राथमिक स्तर का नामांकन कहा जाता है, तालिका 6 में दिया जा रहा है-

तालिका 6

प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) तक नामांकन

वर्ष	छात्र	छात्रा	कुल	वार्षिक वृद्धि	
				औसत	वास्तविक
1976–77	84250	30730	114980	–	–
1986–87	138241	54007	192248	+ 7727	–
1996–97	250886	120139	371025	+ 17878	–
1997–98	283862	131590	415452	–	+ 44427
1998–99	282417	119072	401409	–	– 14043
1999–00	257491	161378	419169	–	+ 17760
2000–01	273402	162150	435550	–	+ 16381

वर्ष 1976-77 के बाद के दस वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 8 हजार का नामांकन बढ़ा, पर अगले दस वर्षों में 86-96 के बीच प्रति वर्ष 18 हजार का नामांकन बढ़ा। वर्ष 1996 के बाद 2001 तक नामांकन वृद्धि भी प्रतिवर्ष पिछले दस वर्षों के लगभग समान ही रही, जबकि इस अवधि में 600 प्राथमिक विद्यालय और लगभग 300 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो नामांकन वृद्धि नगण्य ही रही, जो भी वृद्धि हुई उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में ही हुई। इसके कारणों का विशेष अध्ययन आवश्यक होगा।

शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय आगे

शहरी क्षेत्र में 2000-01 में कुल 302 प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें 152 राजकीय, 47 निजी सहायता प्राप्त और 103 बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालय थे। इस प्रकार जोधपुर जिले में 152 राजकीय और लगभग समान संख्या में 150 निजी प्राथमिक विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित हैं, परन्तु नामांकन की दृष्टि से निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालयों से काफी आगे हैं।

तालिका 7

शहरी क्षेत्र में राजकीय व गैर-राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वर्ष 2000-01

विद्यालय		नामांकन		
प्रकार	संख्या	छात्र	छात्रा	कुल
राजकीय	152	11991	9954	21945
गैर–राजकीय – सहायता प्राप्त – बिना सहायता	47 103	7848 10415	5093 4853	12941 15268
कुल गैर–राजकीय	150	18263	10946	28209

सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या तो स्थिर है, परन्तु बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या शहरी क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही है और छात्रों के नामांकन की दृष्टि से देखा जाए तो अधिक फीस देकर भी अभिभावकों का रुझान निजी विद्यालयों की ओर दिखाई दे रहा है। विद्यालय संख्या समान होते हुए भी गैर-राजकीय विद्यालयों में मुख्य रूप से बालकों का 28 प्रतिशत अधिक नामांकन है।

निजी विद्यालयों में शिक्षण शुल्क भी लिया जाता है और अन्य शुल्क भी अधिक होते हैं, जबकि राजकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क तो होता ही नहीं और छात्र शुल्क भी नाम मात्र का होता है। फिर भी अनुसूचित जाति के अभिभावक अपने बच्चों को अधिक शुल्क देकर गैर-राजकीय विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं। तालिका 8 में प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति का नामांकन विद्यालय प्रबन्धन के आधार पर दिया जा रहा है।

तालिका 8

अनुसूचित जाति का शहरी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन वर्ष 2000-01

विद्यालय		नामांकन		
प्रकार	संख्या	छात्र	छात्रा	कुल
राजकीय	152	1473	978	2451
गैर–राजकीय – सहायता प्राप्त – बिना सहायता	 47 103	 351 3998	 140 1446	 497 5544
कुल गैर–राजकीय	150	4355	1586	6041

राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के 2451 छात्र-छात्राएं नामांकित थे। जबकि गैर-राजकीय विद्यालयों में 6041 यानी लगभग तीन गुने अधिक थे। इनमें भी 91 प्रतिशत बिना सहायता प्राप्त विद्यालयों में हैं, जहां काफी फीस देनी पड़ती है। इस स्थिति पर नीति निर्धारकों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

अपव्यय व अवरोधन

विद्यालयों के छात्र उपस्थिति रजिस्टर में नाम लिखकर नामांकन बढ़ा देना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि जिनका नामांकन किया गया है, वे नियमित पढ़ने आएं और उनकी ऐसी पढ़ाई हो कि पहली कक्षा का छात्र पांच वर्ष में पांचवी कक्षा तक अच्छी पढ़ाई के साथ पहुंचें। राज्य में और देश में ऐसे कई अध्ययन हुए हैं, जो बताते हैं कि नामांकन वृद्धि दिखाने के लिए बड़ी संख्या में उन बच्चों के नाम भी स्कूल रजिस्टर में लिख दिये जाते हैं, जो विद्यालय में आते ही नहीं। राजकीय विद्यालयों में ऐसा होता है, जो बच्चे विद्यालय में आते हैं उनकी भी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। अत: अनुत्तीर्ण होते रहते हैं या बीच में विद्यालय छोड़ते भी रहते हैं। इस प्रकार अपव्यय और अवरोधन की समस्या उत्पन्न होती है।

तालिका 9

प्राथमिक स्तर पर अपव्यय व अवरोधन स्तर (नामांकन लाखों में)

वर्ष / कक्षा	I	II	III	IV	V
1996–97	1.43 (100)				
1997–98	1.53 (100)	0.90 (62)			
1998–99	1.54 (100)	0.84 (55)	0.60 (42)		
1999–00	1.72 (100)	0.92 (60)	0.63 (41)	0.49 (34)	
2000–01			0.72 (42)	0.47 (32)	0.39 (27)

नोट : कोष्ठक में नामांकन प्रतिशत दर्शाया गया है।

तालिका 9 से स्पष्ट है कि जितने विद्यार्थी वर्ष 1996-97 में पहली कक्षा में थे, पांच वर्ष बाद पांचवी कक्षा में उनके 27 प्रतिशत ही रहे। इस प्रकार बीच में विद्यालय छोड़ने और प्रतिवर्ष आगे की कक्षा में न जाने वाले विद्यार्थी 73 प्रतिशत थे। ऐसा अपव्यय वर्षों से हो रहा है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जोर हमेशा नामांकन पर रहता है, जबकि वास्तविक लक्ष्य पांच वर्ष की शिक्षा पूरी करना है। तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि प्रति वर्ष आगे की कक्षा में जाने वालों के प्रतिशत में पिछले पांच वर्षों में कोई अन्तर नहीं आया है। राज्य स्तर पर सन् 2000-01 में प्राथमिक स्तर पर ठहराव दर 31.55 प्रतिशत थी, पर जोधपुर जिला राज्य औसत से काफी कम 27.27 प्रतिशत पर रहा।

इस तालिका से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह ज्ञात होती है कि पांच वर्ष में 73 प्रतिशत के अपव्यय में सबसे अधिक अपव्यय पहली कक्षा में ही है, जो आधे से भी अधिक लगभग 40 प्रतिशत है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि अवास्तविक नाम पहली कक्षा में ही संभव हो सकते हैं। इस विषय में राज्य के कई जिलों के अध्ययन हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। जोधपुर जिले में भी अध्ययन किया जाए, तब ही अपव्यय की वास्तविक स्थिति का पता लग सकता है। परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि ठहराव की समस्या की जड़ पहली कक्षा में ही है।

सकल नामांकन दर

यह माना जाता है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 में 6-11 आयुवर्ग के बच्चे ही होते हैं पर वास्तविकता यह नहीं है। फिर भी इस आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या का आकलन कर जितना नामांकन इन कक्षाओं में होता है उनका प्रतिशत निकाल

कर सकल नामांकन दर (ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो) निकाली जाती है। इस प्रकार राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक सकल नामांकन दर 107 प्रतिशत (छात्र 121 प्रतिशत व छात्रा 91 प्रतिशत) बताई गई। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक पहेली है कि 6 से 11 आयुवर्ग के 100 प्रतिशत बच्चों से अधिक नामांकन कैसे हो सकता है। और यदि इतने बच्चे विद्यालय आ ही रहे हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान चलाने और नई योजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय करने की क्या आवश्यकता है ? तब शिक्षा विभाग द्वारा बताया जाता है कि कक्षा 1 से 5 के नामांकन में 6 वर्ष से कम और 11 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे भी सम्मिलित हैं। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि ऐसे कितने बच्चे होते हैं और उनकी संख्या 6-11 आयुवर्ग में जोड़कर अवास्तविक नामांकन दर क्यों बताई जाती है ? यही तो राज को राज रखने का रहस्य है।

जैसे भी आंकड़े उपलब्ध हैं, कक्षा 1 से 5 तक के नामांकन को 6 से 11 आयुवर्ग का मानते हुए जोधपुर जिले की नामांकन दर राजस्थान दर से अधिक ही है। जोधपुर जिले में 6-11 आयुवर्ग के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या राजस्थान दर से ही मानी गई है।

तालिका 10

जोधपुर जिले में 6-11 की जनसंख्या, नामांकन व दर वर्ष 2000-01

विवरण	पुरुष	महिला	कुल
जिले की कुल जनसंख्या (लाखों में)	15.09	13.71	28.80
6–11 आयुवर्ग अनुमानित जनसंख्या (लाखों में)	1.90	1.74	3.64
कक्षा 1 से 5 में नामांकन (लाखों में)	2.74	1.62	4.36
अनुमानित संख्या से + व –	+ 0.84	– 0.12	+ 0.72
जोधपुर जिला–सकल नामांकन दर – कक्षा 1 से 5 (प्रतिशत में)	144	93	119
राजस्थान – सकल नामांकन दर	121	91	107

6-11 आयुवर्ग में सकल नामांकन दर अर्थात् सही स्थिति की जानकारी तो प्रशासनिक रुचि और शिक्षा विभाग द्वारा उपयुक्त आंकड़े एकत्रित करने की नीति पर ही निर्भर होगी।

अनुसूचित जाति का नामांकन

पिछले चार वर्षों में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक अनुसूचित जाति का नामांकन तालिका 11 में दिया जा रहा है-

तालिका 11

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति का नामांकन

वर्ष	छात्र	छात्रा	कुल	वृद्धि / कमी
1997–98	17,741	9,796	27,537	–
1998–99	26,751	11,313	38,064	+ 10,527
1999–00	170	1054	46	+ 12,989
2000–01	152	1602	47	+ 5,484

तालिका से स्पष्ट है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं की वृद्धि कम हुई जबकि छात्राएं पहले से ही कम आ रही हैं। छात्र और छात्राओं के आपसी अनुपात में भी कोई कमी नहीं आई है।

अनुसूचित जाति के नामांकन की अन्य जातियों के नामांकन से समानता दर ज्ञात की जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि अन्य जातियों और अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से अन्य जातियों के यदि 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो अनुसूचित जाति के 104 आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि समानता दर की दृष्टि से अनुसूचित जाति के बच्चों की नामांकन की स्थिति अन्य जातियों के बच्चों के नामांकन की तुलना में अच्छी है।

समानता दर = अनुसूचित जाति का अन्य जातियों की तुलना में नामांकन/अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जाति की संख्या × 100

अनुसूचित जनजाति का नामांकन

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति का नामांकन तालिका 12 में अंकित है ।

तालिका 12

प्राथमिक स्तर पर अनु. जनजाति का नामांकन

वर्ष	छात्र	छात्रा	कुल	वृद्धि / कमी
1997–98	4,280	1,420	5,700	–
1998–99	4,697	1,951	6,648	+ 948
1999–00	6,593	2,183	8,766	+ 2,118
2000–01	7,321	2,857	10,178	+ 1,412

तालिका 12 से ज्ञात होता है कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जनजाति के नामांकन में प्रतिवर्ष 100 की औसत वृद्धि हुई है और कुल नामांकन में छात्राओं का अनुपात भी बढ़ा है। परन्तु अन्य जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के नामांकन का कोफिशिएन्ट ऑफ इक्वेलिटी (समानता दर) 83 ही है। इसका अर्थ यह है कि अन्य जातियों के 100 बच्चों के नामांकन के मुकाबले में इन जातियों का नामांकन 83 ही है। अन्य जातियों के समानता स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है।

छात्रा नामांकन

जोधपुर जिले में जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत क्रमश: 52 व 48 है, पर प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं का नामांकन उपरोक्त प्रतिशत में नहीं है। छात्राओं का प्रतिशत कम है व छात्रों का अधिक। सन् 1996-97 में छात्राओं का नामांकन प्रतिशत 32 था, जो सन् 2000-01 में 37 जरूर हुआ, पर यह भी 48 प्रतिशत से काफी कम है।

जहां तक अपव्यय व अवरोधन का प्रश्न है, छात्राओं में छात्रों से अधिक है। पहली कक्षा में यदि 100 छात्राएं होती हैं तो पांच वर्ष बाद पांचवी कक्षा में केवल 25 ही होती है जबकि छात्रों की संख्या 29 होती है।

पहली से दूसरी कक्षा में क्षय सर्वाधिक होता है। यह भी छात्रों की तुलना में छात्राओं में अधिक है। इस प्रकार छात्राएं सभी प्रकार से अधिक वंचित रहती हैं।

मुख्य निष्कर्ष

विद्यालय

1. पिछले पच्चीस वर्षों में जोधपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई। यह वृद्धि पिछले चार वर्षों में सर्वाधिक रही। शहरी क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कमी आई। सर्वाधिक वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत समिति विद्यालयों व बिना सहायता के प्राथमिक विद्यालयों की हुई।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पिछले पच्चीस वर्षों में चार गुना वृद्धि हुई। यह वृद्धि भी पिछले चार वर्षों (1996-01) में सर्वाधिक रही। वृद्धि की दर बिना सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की सबसे अधिक थी।

अध्यापक

1. प्राथमिक विद्यालयों में पिछले पच्चीस वर्षों में ढाई गुणा वृद्धि हुई। परन्तु पिछले चार वर्षों में 548 नए विद्यालय खुलने के बावजूद अध्यापकों की संख्या कम हो गई। उक्त अवधि में शहरी क्षेत्र के 18 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कम हुए परन्तु अध्यापक संख्या 773 कम हो गई। इसी तरह सहायता प्राप्त निजी विद्यालय एक बढ़ा परन्तु कुल अध्यापकों में 34 की कमी आई। स्थानीय निकाय के 548 विद्यालय बढ़े और अध्यापक संख्या में 678 की वृद्धि हुई।

प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों के पूर्व प्रतिशत में कमी आई और यह 50 प्रतिशत से घटकर 35 हो गई। शहरी क्षेत्र में महिला अध्यापकों का प्रतिशत 65 है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में 28 प्रतिशत ही है।

नामांकन

1. प्राथमिक विद्यालयों में 1996 से 2001 तक प्रतिवर्ष औसत नामांकन वृद्धि लगभग दो हजार की रही, जबकि इसके पूर्व के दस वर्षों में औसत वृद्धि प्रतिवर्ष चौदह हजार की थी। अधिक विद्यालय नये खुलने के बावजूद अधिक वृद्धि न होकर पहले से भी कम हो गई। प्रति विद्यालय औसत छात्र संख्या में भी कमी आ गई।

2. वर्ष 2000-01 में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्रा अनुपात 62:38 था। अर्थात् जनसंख्या में अपने अनुपात से छात्र अधिक और छात्राएं कम नामांकित थीं।

3. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों प्रकार के विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक का सम्मिलित रूप से नामांकन वर्ष 1996-01 में पिछले 10 वर्षों के औसत से कम बढ़ा जबकि दोनों प्रकार के विद्यालयों में 888 की वृद्धि हुई। पिछले 4 वर्षों में जो भी नामांकन बढ़ा है, उसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भूमिका अधिक रही, प्राथमिक विद्यालयों का योगदान नगण्य रहा।

शहरी क्षेत्र

1. शहरी क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय (152) व निजी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय(150) लगभग समान संख्या में होने के बावजूद निजी विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों से 28 प्रतिशत अधिक नामांकन है। अभिभावकों का रुझान निजी विद्यालयों की ओर बढ़ा है।

2. अनुसूचित जाति के जितने बच्चे 152 राजकीय विद्यालयों में नामांकित हैं, उनसे तीन गुना ज्यादा अनुसूचित जाति के बच्चे 150 निजी प्राथमिक विद्यालयों में अधिक शुल्क देकर पढ़ते हैं।

अपव्यय

1. प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में भर्ती होने वाले 100 बच्चों में पाँच वर्ष बाद पांचवी कक्षा में 27 बच्चे ही अध्ययन करते मिलते हैं। इस प्रकार 73 प्रतिशत छात्र एवं छात्राएं पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जोधपुर जिले में यह क्षरण राज्य स्तर के कारण से अधिक है।

2. सबसे अधिक अपव्यय व अवरोधन पहली कक्षा के स्तर पर है जो प्रथम वर्ष में ही 40 प्रतिशत है।

सकल नामांकन दर

जोधपुर जिले में नामांकन की दृष्टि से सकल नामांकन दर (6-11 आयुवर्ग) राज्य स्तर से अधिक है- छात्रों की 144 प्रतिशत, छात्राओं की 93 प्रतिशत और कुल 119 प्रतिशत। राज्य स्तर पर यह प्रतिशत क्रमश: वर्ष 2000-01 में 121, 91 और 107 था ।

अनुसूचित जाति/जनजाति

प्राथमिक स्तर पर अन्य जातियों का नामांकन 100 माना जाए, तो जनसंख्या के अनुपात से अनुसूचित जाति का नामांकन 104 आता है, परन्तु अनुसूचित जनजाति का नामांकन 83 ही आता है। इस प्रकार नामांकन की अन्य जातियों से तुलना की दृष्टि से अनुसूचित जाति का नामांकन अच्छा है, परन्तु अनुसूचित जनजाति का कमजोर है।

छात्राएँ

जोधपुर जिले में पुरुष-महिलाओं का प्रतिशत 52: 48 है पर प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में छात्र-छात्रा अनुपात 68:32 है, जो छात्राओं की कम संख्या को इंगित करता है।

छात्राओं का अपव्यय व अवरोधन छात्रों की तुलना में अधिक है। पहली से पांचवी कक्षा में छात्राएं कम पहुंचती हैं और पहली से दूसरी कक्षा में छात्राओं में अवरोधन अधिक होता है।

सुझाव

'सा विद्या या विमुक्तये'; विद्या वह है जो व्यक्ति को भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से मुक्त करे। व्यक्ति में जो सामान्य राग-द्वेष, ईर्ष्या एवं अहंकार है, इन सबसे मुक्ति दिलाए। शिक्षा का यह अन्तिम लक्ष्य इतना अमूर्त है कि इसका सामान्य रूप से मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। इसीलिए तो कहा जाता है शिक्षा कार्य मन से संबंधित है। यदि शिक्षा में कुछ भी काम करना है, या कुछ भी परिवर्तन लाना है तो यह शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के मन व सोच परिवर्तन से ही संभव है।

अप्पदीपो भव

सोच में परिवर्तन दूसरों के उपदेशों व सुझावों से नहीं आता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं बदल सकता जब तक कि दूसरा व्यक्ति स्वयं नहीं चाहे। सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या नैतिक है, क्या धार्मिक है; पर समस्या जानने की नहीं है, समस्या इन्हें दूर करने की है। चाह होने पर रास्ता निकालने की क्षमता सभी में है पर समस्या चाह की है। बुद्ध का आखिरी वचन इस पृथ्वी से विदा होते हुए स्मरण योग्य है, वह वचन है- **'अप्प दीपो भव'**- अपना दिया खुद बनो। अपना दिया खुद बनने के लिए बाहरी सुझाव बेमानी है, भीतरी प्रयत्न ही काम के हैं- स्थिति पर स्वचिंतन, स्व विश्लेषण और स्व निर्णय। क्षेत्र के सभी संबंधित व्यक्ति- शिक्षा प्रशासक व शिक्षक- एकत्रित किये जाने वाले आंकड़ों, विश्लेषण के बाद निकले निष्कर्षों पर विचार करें और आगे के मार्ग का निर्णय व तद्नुसार कार्यवाही भी करें । आंकड़ों के एकत्र करने की सार्थकता तभी है।

सही रणनीति- पश्चिम के आचरणवादी मनसविद (विहेवियरिस्ट साइकॉलॉजिस्ट)मनुष्य को यंत्र से ज्यादा नहीं समझते। वे मानते हैं कि आचरण तय कर सूचना के बाद उसे पुरस्कृत किया जाये तो वह सुधरेगा व गलत आचरण को दंडित किया जाए तो वह घटेगा। भारतीय चिंतन यह है कि भय या लोभ के कारण कोई नैतिक बनेगा तो यह बुनियादी बदलाव नहीं है। लोभ व भय नींद और मूर्च्छा के ही हिस्से हैं। शिक्षा का तो उद्देश्य है कि वह व्यक्ति को लोभ व भय से मुक्त करे व उसे अपने मूल स्वभाव के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करे। अनुभव यह है कि लोभ व भय से प्रेरित नामांकन अभियानों का आंकड़ों में वृद्धि की दृष्टि से कुछ असर होता है, पर विद्यालय में ठहराव, शिक्षा की गुणवत्ता आदि की दृष्टि से यह प्रभाव नहीं के बराबर ही रहा है। ऐसा न हो कि 'शिक्षा आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व त्रुटियों को हम फिर दोहराएँ और लोभ व भय को शिक्षा प्रक्रिया में लाएँ, जिसके फिर आगे विपरीत परिणाम आएं। नीति नियोजकों को कार्य का सही मूल्यांकन करा कर उसी के अनुसार केवल नामांकन पर ही नहीं, बल्कि शिक्षा से संबंधित अन्य घटकों पर भी बल देकर सही रणनीति बनानी चाहिए।

अद्यतन स्थिति: यह अध्ययन जून 2001 तक 25 वर्षों की प्राथमिक शिक्षा का है। अब जून 2003 तक के आंकड़े और उपलब्ध है। 935 प्राथमिक विद्यालय 1145 अध्यापक और 20 हजार का नामांकन बढ़ने के बावजूद प्रति विद्यालय औसत अध्यापक संख्या में और कमी आई और अपव्यय व अवरोधन का प्रतिशत 73 से बढ़कर 75 हो गया। यह स्थिति तब है जबकि सर्व शिक्षा अभियान, अध्यापक प्रशिक्षण व अन्य सभी पर इतना जोर है। बहुत अन्दर झांकने की जरूरत है और वह भी सब पक्षों पर निष्पक्षता से।

लेखक राजस्थान के शिक्षा (प्रौढ़ एवं अनौपचारिक) विभाग के निदेशक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (भारत सरकार का विधिक संगठन) के उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं ।